राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
पंचायती राज

क्रमांक एफ. 186(29)परावि/लेखा/निरी.–II/ जयपुर, दिनांक

परिपत्र

अंकेक्षण आक्षेपों एवं विभिन्न जांच रिपोर्टों के माध्यम से विभाग के ध्यान में लाया गया है कि सरपंचों/ग्राम सेवकों द्वारा राजकीय खाते से श्रमिकों के भुगतान हेतु राशि निकालकर अपने निजी खातों में डाल ली जाती है व फिर इसमें से भुगतान किया जाता है। यह गलत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से अंकेक्षण आक्षेप गठित होने के साथ–साथ राशि के गबन की संभावना भी रहती है।

निजी निक्षेप खातों से संस्थाओं/निकायों/निगमों के अन्य प्रकार के भुगतान पी. डी. खातों से इलेक्ट्रोनिक भुगतान की प्रक्रिया के माध्यम से करने हेतु वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र कमांक एफ 5(थ–75)DTA/IFMS/8752–9202 दिनांक 30.09.2016, एफ 5 (थ–75) DTA/IFMS/1350–1590 दिनांक 21.04.2017, एफ 5 (थ–75) कोष/IFMS/WAM/ 10156–10556 दिनांक 11.08.2017 एवं एफ 5 (थ–75) DTA/IFMS/PD Electronics/ 14633–15132 दिनांक 11.10.2017 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 211 में निधियों के आहरण के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया हुआ है :–

211. निधियों का आहरण – (1) धन केवल चैकों के जरिये आहरित किया जायेगा। अन्य व्यक्तियों को 1,000 रु. से अधिक रकम का संदाय भी (पाने वाले के खाते में देय) चैक के जरिये ही किया जायेगा। पक्षकार सीधे बैंक/खजाना/उप–खजाना से संदाय अभिप्राप्त कर सकेंगे। संबंधित बिल पर चैक संख्या और तारीख का निर्देश सदैव किया जायेगा ताकि एक ही बिल का दोहरा संदाय नहीं किया जा सके।

(पूर्वोक्त रकम, अकल्पित आकस्मिक व्यय से संबंधित सामान्य वित्त और लेखा नियमों में वर्णित उपबंधों के अतिरेक्त, सन्निर्माण संकर्मों के संबंध में ऐसी मदों पर भी व्यय की जा सकेगी जिनके संबंध में संदाय पाने वाले के खाते में देय चैकों द्वारा नहीं किया जा सकता है किन्तु ऐसे समस्त मामलों में पाने वाले के खाते में देय चैकों द्वारा संदाय नहीं किये जाने के कारण, संबंधित पंचायती राज संस्था के सुसंगत अभिलेख में अभिलिखित किये जायेंगे। यथा–पूर्वोक्त कारण अभिलिखित करने के पश्चात, अग्रदाय रकम वाहक चैक के माध्यम से आहरित की जा सकेगी।)

(2) कार्यालय प्रधान व्यक्तिशः केवल उतनी ही रकम चैक के जरिये आहरित करने के लिए उत्तरदायी होगा जो बैठक में सक्षम मंजूरी द्वारा प्राधिकृत किये गये बिलों में पारित की गयी है। किसी भी मामले में अधिक धन का आहरण नहीं होगा।

परंतु जब कभी चैक पर संयुक्त हस्ताक्षर आवश्यक हो तथा सरपंच, प्रधान, प्रमुख के हस्ताक्षर प्राप्त करना दस दिन तक संभव न हो परंतु भुगतान करना अति आवश्यक हो तो सरपंच के स्थान पर विकास अधिकारी, प्रधान के स्थान पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रमुख के स्थान

पर जिलाधीश चैक पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत होगे। परंतु ऐसे भुगतान के अति आवश्यक होने के बारे में लिखित कारण अभिलिखित किये जावेंगे।

(3) अनपेक्षित आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम के रूप से अग्रदाय धन भी संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा धारा 64 की उप धारा (3) के अधीन प्राधिकृत किया जायेगा किन्तु वह सामान्यतः निम्नलिखित रूप से होना चाहिए –

(क) पंचायत (10,000 रू.)

(ख) पंचायत समिति/जिला परिषद (25,000 रू.)

जिस व्यक्ति की अभिरक्षा में स्थायी अग्रिम है वह ऐसे अग्रिम की प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को देगा।

(4) कार्यालय प्रधान मास के अंत में इस बात का भौतिक सत्यापन करेगा कि पूर्वोक्त सीमाओं के अधीन का कोई भी धन वापस पी.डी. लेखे/बैंक में जमा करा दिया गया है।

(5) कार्यालयाध्यक्ष/सरपंच/सचिव/खजांची, पंचायतीराज संस्था, अगर ऊपर निर्धारित से अधिक अधिशेष माह के अंत में संबंधित पंचायती राज संस्थान में रखते है तो व्यक्तिशः दायी होंगे। ऐसी दशा में वे सामूहिक रूप से, अधिशेष राशि पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देने के लिये दायी होंगे। कार्यालयाध्यक्ष/सरपंच/सचिव/खजांची से जो ब्याज वसूला जायेगा, को सबसे बराबर लिया जायेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के उक्त परिपत्रों द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के तहत कार्यवाही करते हुए पी.डी. खातों के माध्यम से लाभार्थियों तथा तृतीय पक्षकार को पी.डी. पेमेन्ट एडवाईस के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायतों के मामलों में ऑनलाईन भुगतान संभव नहीं होने की स्थिति में ही राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 211 के तहत आहरित की गयी राशि के संबंध में उक्त नियम के अनुसार पालना सुनिश्चित की जावे तथा किसी भी अवस्था में राशि अपने निजी खातों में जमा नहीं करायी जावे। प्रकरण ध्यान में आने पर दोषी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

Sd–
(नवीन महाजन)
शासन सचिव एवं आयुक्त
जयपुर, दिनांक

623-26
16-04-18

क्रमांक एफ. 186(29)परावि/लेखा/निरी.–II/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, पंचायती राज विभाग को उनके अ.शा.टीप क्रमांक 922 दिनांक 16.02.2018 के क्रम में।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त।
4. उपनिदेशक एवं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

(कुसुम धारदाल)
वित्तीय सलाहकार